

मुकदमों का विवरण

देरहा

वी.

विशाल और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं. 2010 की 4494) सितंबर 1, 2023

[सी. टी. रविकुमार और संजय कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय, क्या दूसरी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने और अपीलार्थी के हिस्से को कम करने में न्यायसंगत ठहराया गया था, यह मानते हुए कि वह मुकदमे की संपत्तियों में छूटे हिस्से का हकदार होगा।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-ss.6, 8 - एक 'पी' की मृत्यु 1959 में मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्तियों में जीवित ब्याज के साथ हुई-वह अपने पीछे 'के' (अपीलार्थी की माँ), अपनी पहली पत्नी के माध्यम से पैदा हुई बेटी और 'वी' और 'के. बी', अपनी दूसरी पत्नी के माध्यम से पैदा हुए बेटे और बेटी को छोड़ गया-सह-पक्षीय संपत्तियों में अपने हिस्से का दावा करने वाले 'के' (मृत होने के कारण) के नेतृत्व में एक मुकदमे में, निचली अदालत ने यह कहते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि अपीलार्थी उसमें एक तिहाई हिस्से का हकदार था-'वी' और 'के' के नेतृत्व में पहली अपील खारिज कर दी गई-उनके नेतृत्व में दूसरी अपील, जिसकी आंशिक रूप से उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी-वैधता:

आयोजित किया गया: मृतक सह-सहभागी की संपत्ति में उत्तराधिकारियों के शेयरों का पता लगाने के लिए, सह-सहभागी संपत्ति में मृतक के स्वयं के हिस्से का पता लगाया जाना है-स्पष्टीकरण 1 से एस। 6 यदि उनकी मृत्यु से ठीक पहले कोई विभाजन हुआ होता तो उनके हिस्से को संपत्ति में वह हिस्सा माना जाता है जो उन्हें आवंटित किया गया होता-इस प्रकार, 'पी' जिनके दो भाई थे, वे सह-आंशिक संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से के हकदार होते, यदि उनकी मृत्यु से पहले कोई विभाजन किया गया होता-ऐसा विभाजन वास्तव में 1964 में लागू किया गया था और पी का एक तिहाई हिस्सा उनके इकलौते बेटे 'वी' को आवंटित किया गया था, जो हालांकि, अपने पिता के साथ एक अलग सह-आंशिक में अपने अधिकार में सह-भागीदार थे और जन्म से उस सह-आंशिक संपत्ति में एक हिस्से के हकदार होंगे-इस प्रकार, वह हकदार होंगे

937 938

पी के हिस्से के रूप में आवंटित सह-आंशिक संपत्तियों के एक तिहाई हिस्से में जन्म से आधा हिस्सा-उसमें अन्य आधा हिस्सा 'पी' का था और चूंकि उनकी निर्वसीयत मृत्यु हो गई, इसलिए यह पहली बार एस के संदर्भ में उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाएगा।⁸ - उनकी मृत्यु की तारीख तक उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी 'के', 'बी' और 'के. बी' थे, उनके तीन बच्चे-उनके आधे हिस्से को उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा, यानी प्रत्येक का $\frac{1}{6}$ वां हिस्सा-इस प्रकार, सह-आंशिक संपत्तियों में 'पी' के $\frac{1}{3}$ वें हिस्से में, 'बी' उसमें $\frac{1}{4}$ वें हिस्से ($\frac{1}{2} + \frac{1}{6}$) का हकदार होगा, जबकि 'के' और 'के. बी.' प्रत्येक को उसमें $\frac{1}{6}$ वें हिस्से का हकदार होगा, क्योंकि वे केवल 'पी' के आधे हिस्से पर दावा करने के हकदार होंगे-उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं होगा।[पैरा 11 और 13]

अभ्यास और प्रक्रिया-मूल वादी के अभिवचनों के विपरीत खड़े हों-अनिवार्यता:

आयोजित किया गया:अपीलार्थी का यह तर्क कि वाद संपत्तियाँ सह-पक्षीय संपत्तियाँ नहीं थीं, बल्कि सह-पक्षकार 'पी' और उसके भाइयों द्वारा धारित संयुक्त संपत्तियाँ थीं, मूल वादी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है-'के' (अपीलार्थी की माँ, पी की बेटी जो उसकी पहली पत्नी के माध्यम से पैदा हुई थी) ने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था और तर्क दिया था कि वाद संपत्तियाँ पैतृक संपत्तियाँ थीं-उसके बेटे और उत्तराधिकारी को अब अलग रख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, उसकी दलीलों के विपरीत-हिंदू कानून। [पैरा 8]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

गुरुपद खंडप्पा मगदुम बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदुम और

अन्य (1978) 3 एस. सी. सी. 383:[1978] 3 एससीआर 761; श्यामा देवी (श्रीमती) और अन्य

बनाम मंजू शुक्ला (श्रीमती) और दूसरा (1994) 6 एस. सी. सी. 342:[1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 362-पर निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2010 की सिविल अपील सं. 4494।1999 के एस. ए. सं. 891 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 31.03.2009 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

मनोज शर्मा, कपिल कौशिक, श्रीमती कंचन कौर धोड़ी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डेरा बनाम विशाल और ए. एन. आर.

सुश्री ऋचा कपूर, कुणाल आनंद, सुश्री तुषारिका शर्मा, सुश्री शिशाम प्रधान, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगणों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजय कुमार, जे।

1. कई बार आजमाया और परखा गया, मिताक्षरा सह-पक्षीय संपत्ति के उत्तराधिकार का मुद्दा बार-बार लेना के एक अमर हाइड्रा की तरह अपने सिर उठाता रहता है। मामला ऐसा ही एक उदाहरण है। 2. फन्नूराम साहू की मृत्यु 22.06.1959 पर मिताक्षरा सह-पक्षीय संपत्तियों में जीवित रुचि के साथ हुई, जो घर की संपत्तियों के साथ गाँव धनेली में 24.64 एकड़ में फैली कृषि भूमि थी। वे अपने पीछे अपनी पहली पत्नी दुखलिन बाई से पैदा हुई बेटी केसर बाई के साथ विशाल और उनकी दूसरी पत्नी गंगा बाई से पैदा हुए बेटे और बेटी केजा बाई को छोड़ गए। उनकी दोनों पत्नियाँ उनसे पहले ही मर चुकी थीं।

3. यह केसर बाई का मामला था कि विशाल; रामनाथ, फन्नूराम के भतीजे; और मनबत बाई, फन्नूराम की साली के बीच एक विभाजन किया गया था। सह-स्वामित्व वाली संपत्तियों में फन्नूराम का एक तिहाई हिस्सा प्राप्त करने के बाद, विशाल ने केसर बाई की विभाजन और उसमें अपने व्यक्तिगत हिस्से के आवंटन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद केसर बाई ने एक विभाजन का मुकदमा दायर किया, जिसे 1991 में प्रथम सिविल न्यायाधीश, डिवीजन-II, रायपुर के आदेश पर सिविल मुकदमा संख्या 146 ए के रूप में दर्ज किया गया। इसमें, उन्होंने अपने पेशेवरों के साथ-साथ सह-स्वामित्व वाली संपत्तियों में अपने हिस्से का दावा किया। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, केसर बाई की मृत्यु 17.06.1988 पर हो गई और उनके बेटे, डेरहा राम, वर्तमान अपीलार्थी, पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.12.1980 के तहत उनकी संपत्ति में सफल हुए।

4. मुकदमे के लिए सुलझे गए मुद्दों पर विचार करने और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के बल पर, निचली अदालत ने 06.11.1996 पर मुकदमे का फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि डेरहा मुकदमे में अनुसूचित कृषि भूमि में एक तिहाई हिस्से और दो घर की संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से का हकदार था। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि वह 1979 से 400 रुपये प्रति वर्ष की दर से धन प्राप्त करने का हकदार है, जब तक कि उसे अलग से कब्जा नहीं दिया जाता।

940

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

5. ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री से व्यथित, विशाल और केजा बाई ने 1998 की सिविल अपील संख्या 6 ए का नेतृत्व विद्वान जिला न्यायाधीश-III, रायपुर के समक्ष किया। हालाँकि, दिनांक 13.04.1999 के आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायालय ने अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

6. इसके बाद विशाल और केजा बाई ने 1999 की दूसरी अपील संख्या 891 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपील की थी। दिनांक 1 के निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और कहा कि डेरहा मुकदमे की संपत्तियों, यानी कृषि भूमि और दो आवासीय घरों में छठे हिस्से का हकदार होगा। अपने हिस्से में कमी से दुखी होकर, डेरहा फाई ने विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील का नेतृत्व किया।

7. दिनांक 09.10.2009 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा उस तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने का एक कमजोर प्रयास किया गया था कि मुकदमे की संपत्तियाँ सह-पक्षीय संपत्तियाँ नहीं थीं, बल्कि फन्नूराम और उसके भाइयों द्वारा संयुक्त संपत्तियाँ थीं। हालाँकि, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि मूल वादी, केसर बाई ने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था और तर्क दिया था कि मुकदमे की संपत्तियाँ पैतृक संपत्तियाँ थीं। उसके बेटे और उत्तराधिकारी को उसकी दलीलों के विपरीत अब अलग रख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, यह तर्क कि फन्नूराम की साली मनबत बाई को 12.03.1964 पर विभाजन में हिस्सा आवंटित नहीं किया गया होता, अगर संपत्तियाँ सह-स्वामित्व वाली संपत्तियाँ होतीं, तो इसका उल्लेख करने की आवश्यकता है। उक्त विभाजन को कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी और इस विवरण के बिना कि मनबत बाई के पति की मृत्यु कब हुई, यह न्यायालय इस बात पर राय नहीं दे सकता कि उस विभाजन में उन्हें हिस्से का आवंटन वैध था या नहीं। किसी भी स्थिति में, उसे एक हिस्से के आवंटन में संबंधित संपत्तियों को सह-आंशिक संपत्तियों के अलावा अन्य होने के रूप में ब्रांडिंग करने का प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा, जैसा कि केसर बाई ने खुद एक मुकदमे का नेतृत्व किया था जिसमें दावा किया गया था कि जिन संपत्तियों में वह हिस्सेदारी चाहती थीं, वे पैतृक संपत्तियाँ थीं।

9. एक बार जब यह माना जाता है कि विभाजन मुकदमे की विषय वस्तु जो संपत्तियाँ थीं, वे सह-पक्षीय संपत्तियाँ थीं, तो केवल एक ही मुद्दा बचा रहता है कि 1959 में फन्नूराम की मृत्यु के बाद, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षिप्तता के लिए, '1956 का अधिनियम') के आने के बाद, उक्त संपत्तियों को उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच कैसे विभाजित किया जाना था। 1956 के अधिनियम की धारा 6 स्थिति को नियंत्रित करेगी, जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है। 1956 के अधिनियम की धारा 6, जैसा कि तब थी, में कहा गया है कि जब

1956 के अधिनियम के प्रारंभ के बाद पुरुष हिंदू की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के समय मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति में ब्याज होने के कारण, उस संपत्ति में उनका हित सह-पक्षीय के जीवित सदस्यों को उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। हालाँकि, इसके परंतुक में कहा गया है कि यदि मृतक अपने पीछे अनुसूची के प्रथम वर्ग में निर्दिष्ट एक जीवित महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में निर्दिष्ट एक पुरुष रिश्तेदार को छोड़ गया है, जिसने ऐसी महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा किया है, तो मिताक्षर सह-आंशिक संपत्ति में मृतक का हित 1956 के अधिनियम के तहत वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा। स्पष्टीकरण 1 ने यह स्पष्ट किया कि धारा 6 के प्रयोजनों के लिए, एक हिंदू मिताक्षर सह-भागीदार के हित को उस संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से तुरंत पहले हुआ होता, भले ही वह ऐसे विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। 10. 1956 के अधिनियम की धारा 8 पुरुषों के मामले में निर्वसीयत उत्तराधिकार पर विस्तार से बताती है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि निर्वसीयत मर रहे हिंदू पुरुष की संपत्ति प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी; दूसरा, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को; तीसरा, यदि दोनों वर्गों में से किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो मृतक के प्राधिकरणों को; और अंत में, यदि कोई प्राधिकरण नहीं है, तो मृतक के कुलपतियों को।

11. गुरुपद खंडप्पा मगदुम बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदुम और अन्य [(1978) 3 एस. सी. सी. 383] मामले में, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ

1956 के अधिनियम की धारा 6 पर गहराई से विचार किया गया। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, किसी मृत सह-भागीदार की संपत्ति में उत्तराधिकारियों के शेयरों का पता लगाने के लिए, पहला कदम सह-सहभागी संपत्ति में मृतक के स्वयं के हिस्से का पता लगाना है और धारा 6 का स्पष्टीकरण 1 एक वित्तीय समीचीन प्रावधान करता है, अर्थात्, उसका हिस्सा संपत्ति में वह हिस्सा माना जाता है जो उसे आवंटित किया जाता यदि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले कोई विभाजन हुआ होता। यह इंगित किया गया था कि एक बार जब यह धारणा मृतक के हिस्से का पता लगाने के उद्देश्य से की गई है, तो कोई भी धारणा पर वापस नहीं जा सकता है और इसके संदर्भ के बिना उत्तराधिकारियों के शेयरों का पता नहीं लगा सकता है, और वास्तविक विभाजन से होने वाले सभी परिणामों को तार्किक रूप से तैयार करना होगा, जिसका अर्थ है कि उत्तराधिकारियों के शेयरों का पता इस आधार पर लगाया जाना चाहिए कि वे एक दूसरे से अलग हो गए थे और विभाजन में एक हिस्सा प्राप्त किया था जो मृतक के जीवनकाल के दौरान हुआ था। प्रभाव में, पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

इस स्थिति का अपरिहार्य परिणाम यह है कि उत्तराधिकारी को उस हिस्से के अलावा उस ब्याज में अपना हिस्सा मिलेगा जो मृतक को उसकी मृत्यु के समय सह-आंशिक संपत्ति में था, जो उसे प्राप्त हुआ था या माना जाना चाहिए कि उसे काल्पनिक विभाजन में प्राप्त हुआ था।

12. यह सिद्धांत श्यामा देवी (श्रीमती) और अन्य बनाम मंजू शुक्ला (श्रीमती) और एक अन्य [(1994) 6 एस. सी. सी. 342] और कई अन्य में लागू होता है।

इस न्यायालय और देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय। 13. इस सिद्धांत को लागू करते हुए, फन्नूराम का हिस्सा सबसे पहले उनकी मृत्यु की तारीख को निर्धारित करना होगा। ऐसा लगता है कि उनके दो भाई थे और अगर उनकी मृत्यु से पहले कोई विभाजन किया गया होता, तो वे सह-आंशिक संपत्तियों में एक तिहाई हिस्से के हकदार होते। वास्तव में, ऐसा विभाजन वास्तव में 1964 में किया गया था और फन्नूराम का एक तिहाई हिस्सा उनके इकलौते बेटे विशाल को आवंटित किया गया था। हालाँकि, विशाल अपने पिता के साथ एक अलग सह-साझेदारी में अपने आप में एक सह-भागीदार था और जन्म से उस सह-भागीदारी संपत्ति में एक हिस्से का हकदार होगा। इसलिए, वह सह-आंशिक संपत्तियों के आर्द्ध/तीसरे हिस्से में जन्म से आर्द्ध हिस्से का हकदार होगा, जिसे फन्नूराम के हिस्से के रूप में आवंटित किया गया था। उसमें अन्य आर्द्ध हिस्सा फन्नूराम का था और चूंकि उनकी निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह 1956 के अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाएगा। उनकी मृत्यु की तारीख तक उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उनके तीन बच्चे केसर बाई, विशाल और केजा बाई थे। इसलिए उनके आर्द्ध हिस्से को उन तीनों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा, यानी प्रत्येक का 1/6 वां हिस्सा। परिणामस्वरूप, सह-आंशिक संपत्तियों में फन्नूराम के एक तिहाई हिस्से का कुल विभाजन इस प्रकार होगा: विशाल उसमें 4/6 वें हिस्से ($\frac{1}{2} + \frac{1}{6}$) का हकदार होगा, जबकि उसकी बहनों, केसर बाई और केजा बाई, प्रत्येक को उसमें 1/6 वां हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वे केवल फन्नूराम के आर्द्ध हिस्से पर दावा करने के हकदार होंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ठीक यही किया और निर्देश दिया, हम इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

14. दीवानी अपील योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

09.10.2009 दिनांकित अंतरिम आदेश खाली रहेगा।

इन परिस्थितियों में, पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे